संख्या-25/2016/790 ई-1/तेरह-2016-499(2)/2008

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2016

विषयः- आबकारी विभाग में संविदा पर वाहन लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी 249/एक-लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन/2010-11, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 एवं पत्र संख्या-सी 464/एक-लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन/2010-11, दिनांक 19 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. शासनादेश संख्या-562 ई-1/तेरह-2010-499(2)/2008 दिनांक 27-04-2010 द्वारा आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तीकरण के अन्तर्गत स्ट्राइकिंग फोर्स के लिये 58 वाहन तथा जनपदों के लिये 71 वाहन अर्थात कुल 129 वाहन वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् उक्त वाहनों को वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिये संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या-623 ई-1/तेरह-499(2)/2008 दिनांक 23 मई 2011, शासनादेश संख्या-617 ई-1/तेरह-2012-499(2)/2008 दिनांक 19-06-2012, शासनादेश संख्या- 648 ई-1/तेरह-2013-499(2)/2008 दिनांक 06 जून 2013, शासनादेश संख्या-735 ई-1/तेरह-2013-499(2)/2008 दिनांक 16-06-2014 एवं शासनादेश संख्या-16/2015/637 ई-1/तेरह-2015-499(2)/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रदान की गई थी ।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र दिनांक 19 मई, 2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-562 ई-1/तेरह-2010-499(2)/2008 दिनांक 27-04-2010 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये संविदा पर वाहनों का उपयोग किये जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्ट्राइकिंग फोर्स के लिये 58 वाहन तथा जनपदों में प्रवर्तन कार्य हेतु 58 वाहन, अर्थात कुल 116 वाहन संविदा पर लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. प्रस्तर-3 में स्वीकृत संविदा वाहनों का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही सुनिश्चित् किया जाएगा तथा सम्बन्धित जनपदों में संविदा पर रखे गये वाहनों के संविदा अनुबन्ध का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-1 के लेखा शीर्ष-2039-राज्य उत्पाद शुल्क (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-भट्ठियाँ-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9-203/दस-2016, दिनांक 03 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या-25/2016/790 ई-1/तेरह-2016-499(2)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9,
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in